

कार्यालय कलेक्टर, जिला जशपुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक

/ वाचक / 2015:

जशपुर, दिनांक

अप्रैल, 2015

// प्रमाण - पत्र //

मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, रायपुर द्वारा अपने ज्ञापक. 1608/NHDP-Cell/मु.अ./रा.रा./5-2/2009/वन रायपुर, दिनांक 20.03.2015 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क. 78 (नया रा.रा.क. 43) अम्बिकापुर से पत्थलगांव तक दो-लेन चौड़ीकरण कार्य हेतु जशपुर वन मण्डल के 0.995 हे० राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किये जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पत्थलगांव द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 09.04.2015 में निम्नांकित 'अनुसूची-1' में वर्णित राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किये जाने के लिए प्रस्तावित किया गया है :-

// अनुसूची-1 //

क्रमांक	ग्राम	ख०न०	रकबा (हे० में)	मद.
01.	रैरुमाकला	217 / 3	0.186	छोटे झाड़ का जंगल
02.	केराकछार	436 / 1	0.184	छोटे झाड़ का जंगल
03.	करमीटिकरा	1030 / 3	0.237	छोटे झाड़ का जंगल
04.	करमीटिकरा	1145 / 1	0.194	छोटे झाड़ का जंगल
05.	करमीटिकरा	1148 / 1	0.024	छोटे झाड़ का जंगल
06.	करमीटिकरा	239	0.017	छोटे झाड़ का जंगल

राष्ट्रीय राजमार्ग के दो-लेन चौड़ीकरण किये जाने से आवागमन में सुविधा हो सकेगी तथा दुर्घटनाओं की संभावनायें कम होंगी। अतः व्यापक लोक हित को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पत्थलगांव के उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुसूची-1 में वर्णित राजस्व वन भूमि को शासकीय प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय राजमार्ग क. 78 (नया रा.रा.क. 43) अम्बिकापुर से पत्थलगांव तक प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग करने की अनुमति, यदि संक्षम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है, तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

कलेक्टर,

जशपुर (छत्तीसगढ़)

जशपुर, दिनांक 10/अप्रैल, 2015

पृ०क० 1686-A/वाचक/2015:

प्रतिलिपि :-

- मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंधन), छत्तीसगढ़ अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर को सूचनार्थ।
- वन मण्डलाधिकारी, जशपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, रायपुर (छत्तीसगढ़) की ओर सूचनार्थ।
- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पत्थलगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर,

जशपुर (छत्तीसगढ़)